

# झारखण्ड विधान सभा



झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन)  
विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,  
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2011  
[सभा द्वारा यथापारित]  
विषय सूची

खण्ड-1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।
2. झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000(अंगीकृत) की उपधारा 2(v) का प्रतिस्थापन।

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) के संशोधन हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में विधान मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो :-

अध्याय-1

प्रारम्भ

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ:-

- (i) यह अधिनियम झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जा सकेगा;
- (ii) यह ऐसी तिथि से प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार राजपत्र से अधिसूचना द्वारा नियत करेगी;
- (iii) इसका विस्तार पूरे झारखण्ड राज्य में होगा।

2. झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अद्यतन संशोधित) जो इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा जाएगा की उपधारा-2(v) का प्रतिस्थापन:-

उक्त अधिनियम की धारा-2 की उपधारा- v(वी) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जायेंगे, यथा:-

“2(v) “शिक्षक” में प्राचार्य, विश्वविद्यालय के आचार्य, कॉलेज के आचार्य, उपाचार्य, व्याख्याता, जो कि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभाग, महाविद्यालय अथवा संस्थान में अध्यापन का कार्य करते हों, शामिल हैं।”



